खण्ड-8 संख्या-6

दशम
बिहार विधान-सभा

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

वृहस्पतिवार तिथि 2 जुलाई, 1992 ई०।

श्रीमती सुधा श्रीवास्तव : हम इस सुचना को ग्रहण करते हैं। इस पर कार्रवाई की जायेगी।

(ड) विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था :

श्री जगदीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण बिहार राज्य अकाल के चपेट में आ गया हैं विशेषकर जहानाबाद एवं गया जिला इससे बूरी तरह प्रभावित हुआ है। भदई फसल मारी जा चुकी है। इसी बीच बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा एक काला कानून लागू किया गया है कि 75 प्रतिशत की वसूली बकाये का हो जाने के बाद ही किसानों के बीच जले ट्रासफर्मरों की आपूर्ति की जायेगी।

हम सरकार सें मांग करते हैं कि इस काले आदेश को हटाकर नि:शुल्क किसानों के वीच ट्रासफर्मर आवंटित करें तथा नियमित विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करें।

श्री तुलसी दास मेहता : यह बिजली बोर्ड का पहले का कानून है कि 75 प्रतिशत बकाया के वसूली के बाद ही नया ट्रांसफर्मर बदली जायेगीं यह कोई नया कानून नहीं बना है। इसलिए यह कहना कि काला कानून बनाया गया है यह गलत है।

श्री कुमूद रंजन झा : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1989 में जब डा० जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री थे, किसानों को सिंचाई के लिये बिजली पूरा-पूरा माफ कर दिया गया था।

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, जब ये एलेक्शन में जा रहे थे, तो इन्होंने बहुत चीज माफ कर दिया था।

डा0 जगन्नाथ मिश्र : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो एक हजार करोड़ रुपये बिना किसी कारण का लूटवा दिया, विना किसी जिम्मेवारी का लूटवा दिया। बड़े-बड़े लोगों के यहां इनका 100 करोड़ रुपया बकाया है, लेकिन इनका

विजली बोर्ड किसानों से कहना है कि वकाया का 75 प्रतिशत जमा कर देंगे तब ही ट्रासफर्मर लगेगा, तो यही बात ये कारखाने वालों से भी कहें। इनके यहां लाखों-लाख रुपया बकाया है, जिस तरह से गरीब किसानों के लिये नियम बनाया है कि 75 प्रतिशत बकाये राशि का जमा करनेके बाद ट्रासफर्मर लगेगा, उसी तरह से कारखानों वालों को भी कहें।

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न था कि काला कानून बना दिया है, यह सरकूलर तो 10 वर्ष पहले का है।

श्री जगदीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह सरकुलर विद्युत बोर्ड द्वारा हाल ही में जारी किया गया है, लेटेस्ट सरकुलर है।

श्री लालू प्रसाद : महोदय, जब स्थिति अकाल की होती है, जब दूर्भिक्ष पड़ जाता है तो उस समय रिलेक्सेशन की बात आती है, अभी वैसी स्थिति नहीं है, स्थिति अपने पर सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री स्वयं किसान हैं, इनको मालूम है कि आदरा नक्षत्र गुजर गया है, वर्षा नहीं हुई है पूरे बिहार में इसलिये इस पर आपको सहानूभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये।

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, गाँव के लोगों और किसानों में सही में कोई दोष नहीं है, ये लोग तत्पर रहते हैं पैसा जमा करने के लिये। लेकिन बिजली बोर्ड तत्परता के साथ ट्रांसफर्मर नहीं लगाता है। जहां तक हार्ड-सीप की बात है तत्काल अकाल का सवाल नहीं है, बिचडा लगाने का सवाल नहीं है, पानी का सवाल नहीं हैं। सब जगह बिचडा लगाया गया है, सब जगह नहर में पानी है। राजोबाबू के यहां गया था, वहां भी सभी खेतों में बिचड़ा लगा हुआ है, किसान खेत में हल जोत रहे हैं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि पूरे मध्य बिहार में धान का बिचड़ा लगा है?

डा0 जगन्नाथ मिश्र : अध्यक्ष महोदय, किसानों के लिये इन्होंने प्रि-कंडीशन

क्यों लगाया? जो स्थिति है, उसमें प्रि -कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं थी कि 75 प्रतिशत जमा करने के बाद ही बिजली बोर्ड ट्रासफर्मर देगी। बिजली बोर्ड के यहां तो 5-5 साल से रुपया जमा है, लेकिन इन्होंने ट्रासफर्मर नहीं लगाया है, इसलिये आप पहले इनको जो ठीक कीजिये।

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने जो सुझाव दिया है, वह ठीक है, लेकिन यह कानून जो है, वह पहले का है। अध्यक्ष महोदय, अब समय खेती का आ गया है, बिचड़ा लगाने का आ गया है, इसीलिये जो सुझाव आ रहे हैं, समय पर हम कानून को रिलेक्स करेंगे। ऐसी बात नहीं कि किसान को पैसा के चलते काम हर्ज होगा, उनको हम धोखे में नहीं रखेंगे, हम इसको जरुर देखेंगे।

(ढ) उग्रवादियों का उन्मूलन:

श्री चन्दशेखर दूबे : अध्यक्ष महोदय, गढ़वा जिले के भावनाथपुर प्रखण्ड में उग्रवादि गतिविधियां इस तरह से बढ़ गई है कि आम जनता को पुलिस प्रशासन पर से विश्वास उठ गया है।

संसाधन के अभाव में पुलिस उग्रवादियों के विरूद्ध कार्रवाई करने में अपने को सक्षम नहीं पा रही है, जिसका ज्वलंत उदाहरण प्रेमलाल गुप्ता की दिनांक 6.6.92 को हुये अपहरण की घटना है। पुलिस को सूचना मिलने पर सारे अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच तो गये परन्तु संसाधन के अभाव में उग्रवादियों के विरूद्ध कुछ कर नहीं पाये और पुलिस की उपस्थिति में फिरौती देकर श्री प्रेमलाल गुप्ता को छुड़ाया गया। इसी प्रकार उग्रवादियों द्वारा खरौधी ग्राम के किसान स्व० बुद्धिनारायण साव, अरसली ग्राम के लाल साहब की बन्दूकें लूट ली गई तथा स्व० देवनन्दन यादव के गोदाम में आग लगाकर लाखों रुपये की केन्दू पति जला दी गई।